न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट नौगावां)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1 / 45 / 18 निर्णय दिनांक : 13.06.2018

उनवान

1. रामसिंह पुत्र स्व0 श्री फूलचन्द जाति माली निवासी नौगावां तहसील रामगढ।

..............................वादी

बनाम

1. राममोहन
2. बनेसिंह
3. शेरसिंह
4. महेन्द्र
5. बलवीर सिंह पुत्रांन स्व0 लालचन्द जातियान माली निवासियान नौगावां तहसील रामगढ।
6. धूडीराम उर्फ कालूराम पुत्र किशनलाल जाति सैनी निवासी नौगावां तह0 रामगढ।

........................असल प्रतिवादीगण

7. देवसिंह पुत्र स्व0 फूलचन्द
8. रामदेई पुत्री स्व0 फूलचन्द पत्नी नैनजी
9. भगवान देई पुत्री स्व0 फूलचन्द पत्नी प्रकाश
10. सुक्को बाई पुत्री स्व0 फूलचन्द पत्नी योगेश जातियान माली निवासियान नौगावां तह0 रामगढ जिला अलवर।

.............तरतीबी प्रतिवादीगण

11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

...........................तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1601 रकबा 0.36, 1602 रकबा 0.41, 1603 रकबा 0.01, 1604 रकबा 0.78, 1605 रकबा 0.01, 1607 रकबा 0.16, 1839 रकबा 0.33, 1840 रकबा 0.33, 3560 रकबा 0.65, 3561 रकबा 0.67 हैक्ट0 किता 10 रकबा 3.71 हैक्ट0 व खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.18 हैक्ट0 वाके ग्राम नौगावां तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है, जो आराजी विवादित है। विवादित आराजी का खातेदार काबिज वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं0 7 ला0 10 है जिनका नाम बतौर खातेदार 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण आराजी में से दर्ज अमल राजस्व रिकार्ड चला आ रहा है। तथा उक्त आराजी पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है और वादी ने ही गत फसले बोई व काटी है वादी के अलावा अन्य दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा व कब्जा नही हे और असल प्रतिवादी गैर काबिज व बेवास्ता व्यक्ति है। और आज भी मौके पर वादी कब्जा व रिहायश है और प्रतिवादी नाजायज फायदा उठाकर मिन वादी की विवादित आराजी उपरोक्त में जबरन नींव आदि खोदकर निर्माण कार्य करना

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

चाहते है। जिसका की उसे कोई अधिकार नही है जबकि मिन वादी उक्त आराजी का काबिज खातेदार है और आज भी मौके पर कब्जा है प्रतिवादी गैरकाबिज व बेवास्ता है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1601 रकबा 0.36, 1602 रकबा 0.41, 1603 रकबा 0.01, 1604 रकबा 0.78, 1605 रकबा 0.01, 1607 रकबा 0.16, 1839 रकबा 0.33, 1840 रकबा 0.33, 3560 रकबा 0.65, 3561 रकबा 0.67 हैक्ट0 किता 10 रकबा 3.71 हैक्ट0 व खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.18 हैक्ट0 वाके ग्राम नौगावां तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है पर अपना जबरन कब्जा न करे व वादी को जबरन बेदखल न करे व विवादित आराजी में नींव आदि न खोदे वे कोई निर्माण कार्य न करें व कोई अतिक्रमण व अतिचार न करे व ऐसा करने से बाज आवें। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नौगावां में दिनांक 13.06.2018 को पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण अनुपस्थित ।

राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नौगावां में दिनांक 13.06.2018 को पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार है। वाद वादी स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1601 रकबा 0.36, 1602 रकबा 0.41, 1603 रकबा 0.01, 1604 रकबा 0.78, 1605 रकबा 0.01, 1607 रकबा 0.16, 1839 रकबा 0.33, 1840 रकबा 0.33, 3560 रकबा 0.65, 3561 रकबा 0.67 हैक्ट0 किता 10 रकबा 3.71 हैक्ट0 व खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.18 हैक्ट0 वाके ग्राम नौगावां तहसील रामगढ जिला अलवर की आराजी में एक दूसरे के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा नही करेंगे, किसी प्रकार का अतिक्रमण व निर्माण नही करेंगें। अपनी–अपनी आराजी पर काबिज रहेंगे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत नौगावां में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट नौगावां)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

मुकदमा नं0 1/45/18 निर्णय दिनांक : 13.06.2018

उनवान

1. रामसिंह पुत्र स्व0 श्री फूलचन्द जाति माली निवासी नौगावां तहसील रामगढ।

..............................वादी

बनाम

1. राममोहन
2. बनेसिंह
3. शेरसिंह
4. महेन्द्र
5. बलवीर सिंह पुत्रांन स्व0 लालचन्द जातियान माली निवासियान नौगावां तहसील रामगढ।
6. धूडीराम उर्फ कालूराम पुत्र किशनलाल जाति सैनी निवासी नौगावां तह0 रामगढ।

........................असल प्रतिवादीगण

7. देवसिंह पुत्र स्व0 फूलचन्द
8. रामदेई पुत्री स्व0 फूलचन्द पत्नी नैनजी
9. भगवान देई पुत्री स्व0 फूलचन्द पत्नी प्रकाश
10. सुक्को बाई पुत्री स्व0 फूलचन्द पत्नी योगेश जातियान माली निवासियान नौगावां तह0 रामगढ जिला अलवर।

.............तरतीबी प्रतिवादीगण

11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

...........................तकमीली प्रतिवादी

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1601 रकबा 0.36, 1602 रकबा 0.41, 1603 रकबा 0.01, 1604 रकबा 0.78, 1605 रकबा 0.01, 1607 रकबा 0.16, 1839 रकबा 0.33, 1840 रकबा 0.33, 3560 रकबा 0.65, 3561 रकबा 0.67 हैक्ट0 किता 10 रकबा 3.71 हैक्ट0 व खसरा नम्बर 1611 रकबा 0.18 हैक्ट0 वाके ग्राम नौगावां तहसील रामगढ जिला अलवर की आराजी में एक दूसरें के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा नही करेंगे, किसी प्रकार का अतिक्रमण व निर्माण नही करेंगें। अपनी–अपनी आराजी पर काबिज रहेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)